



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS  
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX  
COMMISSIONERATE  
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बंगलूर  
**AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2<sup>ND</sup> FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI**  
**BENGALURU- 560300 080-22001463/64**

लोक सूचना सं / PUBLIC NOTICE. NO .06/2020

दिनांक DATED 02.03.2020

विषय:अखिन भारतीय स्तर पर आटोमेटड निकासी का कार्यान्वयन के संबंध में  
Sub: Implementation of automated clearance on All-India Basis- reg.  
\*\*\*\*\*

सभी आयातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स एवं अन्य फणधारियों का ध्यान, दिनांक 5.3.2020 से जहाँ सीमा शुल्क ई डी आई प्रचलित हैं उन सीमा शुल्क स्थानों में लदान बिल के आटोमेटड निकासी की सुविधा प्रदत्त करने के बारे में सूचित करते हुए जारी किये गए बोर्ड के दिनांक 28.2.2020 के परिपत्र की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of Importers, Custom Brokers and other stakeholders is invited to Board Circular No.15/2020 Customs dated 28.02.2020, extending the facility of automated clearance of Bills of Entry to all Customs locations where Customs EDI is operational, with effect from 05.03.2020.

2. आटोमेटड निकासी के प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं

The important features of the automated clearance are as follows:

- i) यह सुविधा सिर्फ उन आईसीईएस उन स्थानों के लिए उपलब्ध होगा जहाँ आर.एम.एस पूरी तरह समर्थक और प्रचलित हैं  
The facility will only be for ICES locations where RMS is fully enable and fully functional
- ii) सभी सीमा शुल्क अधिनियम,नियम, अनुदेश आदि के अधीन वांछित अनुपालन का सत्यापन (सीसीवी) सीमा शुल्क के उचित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।  
All the Customs Compliance Verification(CCV) requirements under the Customs Act, Rules, Instructions etc., will be done by the designated Proper Officer of Customs.
- iii) शुल्क न भुगतान करने पर एवं भुतान की कार्रवाई चालु रहने पर भी सीमा शुल्क अनुपालन का सत्यापन प्रचलित रहेगा ।  
The CCV would operate even while duty has not been paid or payment is under process.
- iv) एक बार वस्तु का पंजीकरण पूरे हो जाने पर, सीमा शुल्क के उचित प्राधिकृत अधिकारी सभी सीमा शुल्क अधिनियम,नियम, अनुदेश आदि के अधीन वांछित अनुपालन का सत्यापन (सीसीवी) करेंगे । सीसीवी पूरे होने के बाद, यह पता करने के बाद कि, सभी वस्तुएं निकासी के लिए तैयार हैं, तो उचित प्राधिकारी, सीमा शुल्क सिस्टम पर उक्त विशिष्ट बिल के लिए समापन के संबंध में पुष्टि करेंगे । ओओसी भी ,जैसे वर्तमान रूप में एस यूपी रोल से दिया सिस्टम में दिया जाता है उसी प्रकार

ओओसी भी दिया जाएगा । शुल्क भुगतान की शर्त को छोड़कर बाकी सारे शर्तों का सत्यापन वस्तुओं के पंजीकरण के समया किया जाएगा । एक बार ओओसी देनेपर लदान बिल जी.ए.टी पंक्ति में स्वतःपूर्ण रूप से न जाएगा , पर सीसीवी पंक्ति में जाएगा । जब भी आयातकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है और सिस्टम में समेकित हो जाता है तब तुरंत लदान बिल जी.ए.टी पंक्ति में आ जाएगा और वो.वो.सी का प्रिंट जनरेशन के लिए उपलब्ध होगा । अगर आयातकर्ता ने देय लागू होनेवाले शुल्क को , उचित पाधिकारी द्वारा सी.सी.वी की प्रक्रिया करने के अंदर करते हैं तो , अधिकारी द्वारा सिस्टम में ओओसी देने पर बी.ई अपने आप जी.ए.टी पंक्ति में जाएगा । इसी प्रकार , अस्थगित शुल्क से निहित बी.ई भी , शुल्क भुगतान के लिए इंतजार किये बिना जी.ए.टी पंक्ति में तुरंत चला जाएगा ।

Once the goods registration is complete, the designated proper officer of Customs would do all the necessary verifications of Customs Compliance Verification (CCV) requirements under the Customs Act, rules, instructions etc. After completion of CCV, the Proper Officer of customs, on satisfaction that the goods are ready for clearance, will confirm the completion of the CCV for the particular Bill of Entry in the Customs System. OOC will be given the same way, in the System, as is being given now from the SUP role. Other conditions, except the condition of duty payment would still be checked by System at the time of goods registration. Once the OOC is given, the BE will not move to GAT queue automatically, instead, it would move to CCV queue. Once the payment is made by the importer and is integrated in the System, the BE would instantly move to GAT queue and OOC print would be available for generation. If the importer has already paid the applicable duties by the time the proper officer has processed it for CCV, the BE would immediately go to the GAT queue, after the OOC is given by the officer in System. Similarly, the deferred duty BEs shall also move to GAT immediately without waiting for duty payment.

3. सभी आयातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर एवं अन्य फणधारी उचित अनुपालन के लिए इसका नोट करें । All the Importers, Custom Brokers and other Stakeholders, are requested to take note for suitable compliance.

4. इस संबंध में कोई तकलीफ है तो उसको अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जा सकता है । Difficulty, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the undersigned.

**अशोक**

(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है / Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रति प्रस्तुत/ Copy submitted to:

1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क बेंगलूर, बेंगलूर अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन , बेंगलूर / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

Copy to:

प्रति प्रेषित /Copy to:

1. सभी अपर /संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एयर पोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय/  
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru

2. फेडरेशन आफ कर्नाटका, चेंबर ऑफ कामर्स, सं 9996, केंपेगौडा रोड, गॉधीनगर, बेंगलूर  
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996,  
Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3. बेंगलूर सीमा शुल्क बोकार्स एजेंट संगटन, सं.71, कार्गो विल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूर अंतर्राष्ट्रीय  
एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बेंगलूर / Bangalore Customs Brokers Agents Association,  
No.71, Cargo Village, B-Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli,  
Bengaluru
4. फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ, ) पहला तल, वी.आई.टी.सी,  
भवन, कस्तूरिबा रोड, बेंगलूर।  
Federation of Indian Export Organisation (FIFO), IstFloor, VITC Building,  
Kasturba Road, Bengaluru
5. बेंगलूर सीमा शुल्क वेब साईट/ Bengaluru Customs Website
6. सूचना पट्ट/ Notice Board.
7. बेंगलूर से प्रचलित सभी कोरियर एजेन्सी/  
All Courier Agencies Operating at Bengaluru (Through Courier Assn.)
8. मास्टर फाईल/ Master file.